

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा

आदेश संख्या **31** / प्रा0शि0/4(2)10/ नियुक्ति स0अ0/2022-23

दिनांक 26 अप्रैल 2022

:: नियुक्ति आदेश ::

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में निहित प्राविधानों एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या प्रारम्भिक शिक्षा -दो(02)/419 (II) / 2020/ 6118.21/ 2021.22 दिनांक 14.09.2021 एवं पत्रांक प्रा0शि0-दो(02)/419(II)/ 2020/ 7445.46 / 2021.22 दिनांक 07 अक्टूबर 2021 के अनुपालन में संबंधित के सम्मुख अंकित स्तम्भ 08 में अंकित विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 (लेवल-6) में नितान्त अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की जाती है यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई है जो किसी भी समय 01 माह पूर्व का नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति मा0उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 903 / 2019 एवं रिट याचिका संख्या 350/एस0एस0/2021 में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। नव नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 07 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या 21/XXVII(07)/ अ0पै0यो0/2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात् राजकीय सेवाओं में नयी परिभाषित पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्षैतिज आरक्षण	नियुक्ति का विषय	नियुक्त रा0प्रा0 विद्यालय का नाम	विकासखण्ड
1	दिवाकर यादव	शीशराम सिंह	02/07/1992	सामान्य	-	अग्रेजी	धुरुवाढूंगा	सल्ट
2	तबस्सुम जहाँ	मोहम्मद अख्तर	01/07/1981	अ0पि0वर्ग	उ0म0	सामान्य	बिल्लेख नवीन	ताडीखेत
3	नीरज सिंह	मोहन सिंह धामी	25/02/1992	सामान्य	-	अग्रेजी	तल्ली महरोली	स्याल्दे
4	वीरेन्द्र लोहनी	रमेश चन्द्र लोहनी	22/05/1993	सामान्य	-	गणित	चौड़ा	लमगडा
5	लक्ष्मी काला	धनी राम काला	16/01/1983	सामान्य	उ0महि0	सामान्य	खंडारु	ताकुला
6	धन सिंह महारा	त्रिलोक सिंह महारा	10/05/1986	सामान्य	-	सामान्य	टिकरचुपडा	लमगडा
7	उमेश सिंह	भवान सिंह	01/05/1981	अ0पि0वर्ग	-	सामान्य	बडसीमी	हवालबाग

5. कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ (एक कागज में चस्पा कर दिनांक सहित अभिप्रमाणित की गयी हो) तीन पत्रावलियों में सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे और मूल अभिलेखों से मिलान भी करवायेंगे।
6. समस्त अभ्यर्थी अन्तिम शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान एवम अन्य 02 संभ्रान्त व्यक्ति जिसमें से कम से कम एक राजपत्रित अधिकारी हो से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो भी प्रस्तुत करेंगे।
7. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
8. अभ्यर्थी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- 5.. विवाहित होने की स्थिति में एक पति अथवा पत्नी होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।



8. भूतपूर्व सैनिक कोटे से चयनित अभ्यर्थी इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि इस नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ नहीं लिया गया है।
9. उपरोक्त शर्तों के पूर्ण करने में असफल रहने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(सत्य नारायण) 26/4/2022

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

१५१-५५

पृष्ठांकन संख्या / प्रा०शि०/४(२)१०/ नियुक्ति स०अ०/२०२२-२३ तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2-अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा।
- 4-वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, अल्मोड़ा।
- 5-कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी संबन्धित कोषागार।
- 6-उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सम्बन्धित विकासखण्ड, जनपद अल्मोड़ा।
- 7-प्रधानाध्यापक सम्बन्धित विद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि विद्यालय में नियुक्त अभ्यर्थी को विकासखण्ड से संबन्धित के मूल शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करायेगे।
- 8-सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय के साथ प्रेषित कि संबन्धित विकासखण्ड के उपशिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय से अपने समस्त शैक्षिक /प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल अभिलेखों से जांच कराने के उपरान्त ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उक्त नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर अन्य जनपदों में कार्यभार ग्रहण न किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- 09 -कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

(सत्य नारायण) 26/4/2022
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा

आदेश संख्या 31 / प्रा0शि0 / 4(2)10 / नियुक्ति स0अ0 / 2022-23

दिनांक 26 अप्रैल 2022

:: नियुक्ति आदेश ::

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में निहित प्राविधानो एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या प्रारम्भिक शिक्षा -दो(02)/419 (II) / 2020/ 6118.21/ 2021.22 दिनांक 14.09.2021 एवं पत्रांक प्रा0शि0-दो(02)/419(II)/ 2020/ 7445.46 / 2021.22 दिनांक 07 अक्टूबर 2021 के अनुपालन में संबंधित के सम्मुख अंकित स्तम्भ 08 में अंकित विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 (लेवल-6) में नितान्त अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की जाती है यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई है जो किसी भी समय 01 माह पूर्व का नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति मा0उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 903 / 2019 एवं रिट याचिका संख्या 350/एस0एस0/2021 में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। नव नियुक्त शिक्षको को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। नव नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 07 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या 21/XXVII(07) / अ0पै0यो0 / 2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात् राजकीय सेवाओं में नयी परिभाषित पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्षेत्रीय आरक्षण	नियुक्ति का विषय	नियुक्त रा0प्रा0विद्यालय का नाम	विकासखण्ड
1	विनोद चन्द्र	फकीर राम	03/07/1988	अनु0जा0	-	गणित	महरखोला	ताडीखेत
2	प्रभुदयाल	जगत लाल	05/06/1985	अनु0जा0	-	गणित	ओगलियासीम	स्याल्दे
3	सुनीता खड़ायत	आनन्द सिंह खड़ायत	10/01/1981	सामान्य	उ0महि0	जीव विज्ञान	हटौला	भैसियाछाना
4	मनीष कुमार वर्मा	राजेन्द्र लाल वर्मा	20/10/1981	अ0पि0वर्ग	-	जीव विज्ञान	पाली रंगौड	धौलादेवी
5	बीना सैनी	विनोद कुमार	02/04/1985	अ0पि0वर्ग	उ0महि0	जीव विज्ञान	साननी	धौलादेवी

- कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ (एक कागज में चस्पा कर दिनांक सहित अभिप्रमाणित की गयी हो) तीन पत्रावलियों में सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे और मूल अभिलेखों से मिलान भी करवायेंगे।
- समस्त अभ्यर्थी अन्तिम शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान एवम अन्य 02 संभ्रान्त व्यक्ति जिसमें से कम से कम एक राजपत्रित अधिकारी हो से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो भी प्रस्तुत करेंगे।
- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
- अभ्यर्थी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- विवाहित होने की स्थिति में एक पति अथवा पत्नी होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- भूतपूर्व सैनिक कोटे से चयनित अभ्यर्थी इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि इस नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ नहीं लिया गया है।
- बी0एड0 प्रशिक्षित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महिने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स)आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न करने की दशा में सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

11. उपरोक्त शर्तों के पूर्ण करने में असफल रहने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(सत्य नारायण)
26/4/2022

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

937-40

पृष्ठांकन संख्या /प्रा0शि0/4(2)10/ नियुक्ति स0अ0/2022-23 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2-अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
- 3- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा।
- 4-वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, अल्मोड़ा।
- 5-कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी संबन्धित कोषागार।
- 6-उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सम्बन्धित विकासखण्ड, जनपद अल्मोड़ा।
- 7-प्रधानाध्यापक सम्बन्धित विद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि विद्यालय में नियुक्त अभ्यर्थी को विकासखण्ड से संबन्धित के मूल शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करायेगे।
- 8-सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय के साथ प्रेषित कि संबन्धित विकासखण्ड के उपशिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय से अपने समस्त शैक्षिक /प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल अभिलेखों से जांच कराने के उपरान्त ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेगे। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उक्त नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर अन्य जनपदों में कार्यभार ग्रहण न किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगे।
- 9-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।